/font>

Title: Need to advise state governments to follow the instructions issued by Centre in regard to District Level Vigilance and Monitoring Committee constituted for review of developmental activities- Laid.

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के निर्देश पर विभिन्न प्रांतों में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा हेतु संबंधित सांसदों की अध्यक्षता में विजिलेंस एवं मानिटरिंग कमेटियों का गठन किया गया था। इस संबंध में अधिसूचना **(** नोटिफिकेशन**)** भी अनेक स्थानों पर जारी हो चुकी है और कुछ स्थानों पर इन समितियों ने कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया और ये समितियां बहुत सार्थक सिद्ध हो रही थीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2003 के माध्यम उपायुक्तों को जो निर्देश दिए हैं उन्हें मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं- "I am to refer to this department letter of even number dated 31st Mat, 2003 vide which you were requested to reconstitute the District Level Vigilance and Monitoring Committee in this context. You are requested not to reconstitute the District Level Vigilance and Monitoring Committees in your district till further orders. If the committee has been reconstituted the meeting of this committee may not be convened also till further directions." अतः मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे हस्तक्षेप करें और प्रांतीय सरकारों को निर्देश दें कि वे भारत सरकार के निर्णय का अनुपालन करें।